

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं० सं०-17/ए३-16/2006 (खण्ड II).....पटना, दिनांक-.....

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों/सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर जिनकी संविदा/टेन्योर अवधि दिनांक-31.08.2017 को समाप्त हो रही है, की संविदा/टेन्योर अवधि कार्यहित में इन पदों के नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से भरे जाने अथवा चिकित्सक शिक्षकों की आयु 70 वर्ष तक जो पहले हो, के शर्ताधीन अगले आदेश तक विस्तारित की जाती है।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक: 17/ए३-16/2006 (खण्ड II) - 510 (17).....पटना, दिनांक- 31/8/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु सी० डी० के साथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:-सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (डा० सिन्हा) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के विशेष कार्य पदाधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।